



2026:AHC:32157-DB

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

विशेष अपील संख्या - 1080/2025

अनूप कुमार

..... अपीलार्थी

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 5 अन्य

..... प्रतिवादी

अपीलार्थी के अधिवक्ता : अमीश कुमार श्रीवास्तव, जितेन्द्र केशरवानी

प्रतिवादी के अधिवक्ता : ज्ञान प्रकाश श्रीवास्तव, रामानंद पाण्डेय (अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता)

न्यायालय मुख्य न्यायमूर्ति

माननीय मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली

माननीय न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र

1. यह अपील विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा रिट-सी संख्या - 22525/2024 में पारित आदेश दिनांक 07.10.2025 के विरुद्ध निर्देशित है, जिसके द्वारा उप श्रम आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.04.2024 के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा दायर रिट याचिका खारिज कर दी गई थी।
2. अपीलार्थी ने उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (संक्षेप में '1947 का अधिनियम') की धारा 2-क के अंतर्गत उप श्रम आयुक्त से संपर्क किया था। उप श्रम आयुक्त ने इस निष्कर्ष पर पहुँचने के बाद कि 1947 के अधिनियम की धारा 2(I) (iii) के प्रावधानों के अनुसार उक्त वाद पोषणीय नहीं था, कार्यवाही बंद कर दी और अपीलार्थी को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष जाने की सलाह दी।
3. इससे व्यथित होकर रिट याचिका दायर की गई थी।
4. विद्वान एकल न्यायाधीश ने 1947 के अधिनियम की धारा 2(I) (iii) के प्रावधानों के संदर्भ में इस मुद्दे का गहन परीक्षण करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि प्रतिवादी-बैंक के मामले में समुचित सरकार केंद्र सरकार होगी और विवाद औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 द्वारा शासित होगा, न कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम द्वारा।
5. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय में कोई त्रुटि नहीं दर्शा सके।
6. यह निवेदन करने का प्रयास किया गया कि मामले को औद्योगिक अधिकरण को संदर्भित किया जा सकता है, हालांकि, अपीलार्थी द्वारा उस राहत का दावा करने के लिए उसे औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा।
7. उपरोक्त चर्चाओं के आलोक में, हमें विवादित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं मिलता।
8. इस विशेष अपील में कोई सार नहीं है, अतः इसे खारिज किया जाता है।

(क्षितिज शैलेंद्र, न्यायमूर्ति) (अरुण भंसाली, मुख्य न्यायमूर्ति)

12 फरवरी, 2026

आर.के./एस.एल.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"